

21/01/24

पत्रावली पेश हुई। पीछे से  
अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। पीछे  
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/1/24  
को पेश हो।

18/01/24 पत्रावली पेश की। वकील प्रदीप कुमार उपाध्ये व उपाध्ये  
2000 18/01/24 को उपस्थित 18/01/24 को  
जाता है। पत्रावली पेश की। वकील प्रदीप कुमार उपाध्ये  
उपाध्ये व उपाध्ये 20/01/24 को पेश की।  
उपाध्ये व उपाध्ये 20/01/24 को पेश की।

24/01/24 पत्रावली पेश की। वकील प्रदीप कुमार उपाध्ये व उपाध्ये  
18/01/24 को उपस्थित वकील प्रदीप कुमार उपाध्ये व उपाध्ये  
उपाध्ये व उपाध्ये 20/01/24 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सागांवेर)  
जयपुर द्वितीय (सागांवेर)  
जयपुर द्वितीय (सागांवेर)

30/10/24

पत्रावली पेश हुई वकील प्रदीप उपाध्ये उपस्थित  
वहस प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
सुनी गई वहस, वकील प्रदीप उपाध्ये पत्रावली  
आमद दस्तावेज अवलोकन करने के लिए  
इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश  
दिनांक 24/01/2024 को मूल वाद की  
निस्तारण तक अन्तर्गत किया जाता है।  
पत्रावली करमल सुमार होकर परीक्षा  
से कम हो बाद तकमिल दाखिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सागांवेर)

Prakash  
22/5

1



### न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सागांवेर जिला जयपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र संख्या:- .....135/2024

कान्हा बिल्डर्स जरिये अधोहरताक्षरकर्ता चेतन यादव पुत्र  
रागनिवारा यादव पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नम्बर ए-5  
श्याम विहार कालोनी वयरलेस ऑफिस के सामने  
सागांवेर जयपुर

---प्रार्थी

---बनाम:-

1. ओमप्रकाश पुत्र रामेश्वर
2. गोपाल पुत्र रामेश्वर
3. बोदूराम पुत्र रामेश्वर
4. रामजीलाल पुत्र रामेश्वर
5. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर
6. श्रीराम पुत्र रामेश्वर
7. रीताराम पुत्र नारायण  
रामस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम गंवार ब्राह्मणान  
तहसील सागांवेर जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान  
कास्तकारी अधिनियम 1955, बाबत  
अस्थाई निषेधाज्ञा, सपठित आदेश 39  
नियम 1 व 2 व्यावहार प्रक्रिया संहिता।

मान्यवर,

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है।

*Prakash*

